

5-1-21

आज पत्रावली पेश हुई। पेशेका सख्ता उपस्थित  
बदल चुनी गई। प्राची द्वारा राजख अंकिलेख  
में गलत नाम दर्ज किया गया है। नाम राजू  
के स्थान पर राजेश सिंह व दीपचंद के स्थान  
पर जितेन्द्र सिंह अंकित किया जावे। निवेदन किया  
है। तहसीलदार चौधपुर से रिपोर्ट ली गई।  
उसमें खाता संख्या 5, 79, 81, 122 बांके ग्राम  
सड़कोली में राजू के स्थान पर राजेश सिंह  
व दीपचंद के स्थान पर जितेन्द्र सिंह शुद्ध  
किये जाने की सिफारिश तहसीलदार चौधपुर  
द्वारा रिपोर्ट दिनांक 8-5-18 को पेश की है।

पत्रावली का उल्लेखन किया प्रकरण केवल  
नाम शुद्ध का है नाम शुद्ध किये जाने में कोई  
आपत्ति नहीं है अतः नाम शुद्ध किया जाना हम  
अहित समझते हैं। अभील अपीलान्त स्वीकार  
को जाकर आदेश दिया जाता है कि खाता  
संख्या 5, 79, 81, 122 बांके ग्राम सड़कोली पंचगा  
हल्का विरोधा सख्त 2072-2075 में राजू के  
स्थान पर राजेश सिंह व दीपचंद के स्थान पर  
जितेन्द्र सिंह का नाम राजख अंकिलेख में अंकित  
किया जावे। राजू व दीपचंद का नाम लोपित  
किया जावे। तहसीलदार को परवाना जारी है।  
पत्रावली फंस्ल शुमार देकर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर (राज)